राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग 21 JAN 2020

क्रमांक प.2(4)न्याय/2019 जयपुर दिनांक

अधिसूचना

द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत् प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु, राज्य के समस्त् जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उनकी अपनी- अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से

21.1.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार,।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर ।
8. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग ।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त् जिला कलेक्टर /जिला एवं सैशन न्यायाधीश /पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार ।
11. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को ई-गजट में प्रकाशन के लिये ऑनलाईन प्रेषित करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली ।

21.1.2020

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव